# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 305 / 2022

**उनवान**

सोजी पुत्र रामचन्द्र माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1– शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– भेरू पिता रामेश्वर माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
3– केलाश पिता जगदीश खाती निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
4– सोजी पिता धूला माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
5– बागमल पिता मोडू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
6– अम्बा पिता गोकल माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
7– छोटू पिता माधू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
8– केलाश पिता मांगू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
9– शांति उर्फ शान्ता पत्नी हेमराज माली निवासी देवपुरी
10– खाना पिता भूरा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
11– गणेश पिता रामा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
12– लाली पुत्री रोडू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
13– मेगा पिता माधू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
14– मडी पुत्री रोडू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
15– हीरा पत्नी भाग चंद माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
16– गोपाल पिता लादू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
17– भेरू पिता हीरा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
18– छोटू पिता धूकल माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
19– उदा पिता भूरा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
20– रंगलाल पिता मांगू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
21– देबी लाल पिता सुखा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
22– मोहन पिता मांगू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
23– बालू पिता भूरा माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
24– बन्ना पिता उगाम माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
25– शंकर पिता माधू माली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
26– गोपाल पिता नन्दा गुर्जर निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
27– शांति पत्नी रामकरण मीणा निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
28– नारायण पिता किशना काली निवासी देवपुरी तहसील शाहपुरा
29– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री योगेन्द्र सिंह भाटी
अधिवक्ता प्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956**

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 20.9.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1098 रकबा 0.29 है0, 1105 रकबा 0.66 है0, 1514 रकबा 0.20 है0, 1516 रकबा 0.15 है0, 1527 रकबा 0.08 है0, 1528 रकबा 0.16 है0, 1533 रकबा 0.19 है0, 1535 रकबा 0.15 है0, 1692 रकबा 0.09 है0, 1694 रकबा 0.60 है0, 1696 रकबा 1.06 है0, 87/1818 रकबा 0.05 है0, 88 रकबा 0.31 है0, 93 रकबा 0.86 है0** कुल किता **14** रकबा **4.85** हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 1, 3, 5, 8 लगायत 21, 23 लगायत 26, 28, 29** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 2, 4, 6, 7, 22, 27** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम देवपुरी पटवार हल्का देवपुरी संवत 2075 से 2078 तक** का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **देवपुरी** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **खातेदारी** की आराजीयात् किता **14 रकबा 4.85 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 1900/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **20.9.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा